

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत :- अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली जिला पाली राज.

प्रार्थीगण

- जीवाराम पुत्र पूनाराम जाति घांची
निवासी कोसेलाव तह.सुमेरपुर पाली

अप्रार्थीगण

- विकास अधिकारी प.स.सुमेरपुर पाली
- सरपंच ग्राम पंचायत कोसेलाव प.स.
सुमेरपुर जिला पाली
- बाबुलाल जैन पुत्र रतनचन्दजी जैन
निवासी कोसेलाव तह.सुमेरपुर पाली

किस्म मुकदमा : पंचायत विविध प्रकरण संख्या : 142/2024

(जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2024/318)

स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुये
11.03.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। राजस्व (ग्रुप-2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय पाली के पत्रांक/ कोर्ट/2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 22.04.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली</p>	
22/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अन्तर्गत पत्रावली के पत्रांक 2015/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">अति. जिला कलेक्टर बाली (पाली)</p>	
2015/24	<p>पत्रावली पेश हुई। जमाना अज्ञात अज्ञात। पत्रावली का अवरोध किया गया। प्रकरण स्थगन प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत 2015 के अन्तर्गत रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र का मूल अतिरिक्त एवं आवश्यकता ही लम्बाप हो चुकी है। तात्कालिक मालूम या उपस्थिति स्थिति की जमाना नहीं है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के अन्तर्गत अज्ञात अज्ञात अज्ञात। निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">2015/24 अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली</p>	